well as welfare measures for welfare of working children, recmomend industries and areas where there must be progressive elimination of child labour. The Child Labour Advisory Board in its meeting held on 19-4-93, inter alia, recommended evaluation of National Child Labour Projects, progressive elimination of child labour in States and also recommended initiation of efforts in Jaggampet in Andhra Pradesh and Mandsaur in Madhya Pradesh to totally eliminate child labour in these two districts. The Child Labour Advisory Board was reconstituted on 2nd November, 1994.

(iii) The Child Labour Technical Advisory Committee has been constituted on 3-8.1987 under Section 5 of the Child Labour (Prohibition and Regulation) Act, 1986 to advise the Central Government for the purpose of addition of occupations/processes to the Schedule under Section 3 of the Act. On the basis of the Committee's recommendations, one occupation and seven processes have been added so far to the Schedule to the Child Labour (Prohibition and Regulations) Act, 1986.

Funds for welfare of Beedi workers in Andhra Pradesh

3188. SHRI YERRA NARAYANASWAMY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) how much amounts remained unspent in 1994-95 for the welfare of Beedi workers; and

(b) how much has been spent in Andhra Pradesh for welfare of Beedi workers in 1994-95?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) Accounts for the financial year 1994-95 are yet to be closed.

(b) The requisite information is called for and will be laid on the table of the House on the receipt of the same.

Expert Committee under the Labour Ministry

3189. SHRI YERA NARAYANASWAMY: Will the Minister of LABOUR be pleased to state:

(a) how many Expert Committees are presently working under the Labour Ministry;

(b) what are the names of all such Expert Committees; and

(c) for what reasons such Expert Committees are appointed?

THE MINISTER OF LABOUR (SHRI P. A. SANGMA): (a) to c). The Ministry of Labour has not appointed any Expert Committee. However, there are a number of Tripartite Committees constituted by this Ministry to review and make recommendations on issues relevant to labour.

देश मे असंगठित महिला मजदूर

3190 **श्री जनेश्वर मिश्र** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में असंगठित महिला मजदूरों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार ने उनको संगठित करने और उनके जीवन स्तर को सुधारने के लिए कोई ठोस कदम उठाए हैं;

(ग) यदि हां, तो लाभ भोगी महिला मजदूरों की संख्या कितनी है; और

(घ) इसका तथ्य संबंधी ब्यौरा क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री पी. ए. संगमा) (क) 1981 की जनगणना के अनुसार असंगठित श्रमिकों की राज्यवार संख्या दर्शाने वाला विवरण संलग्न है । (नीचे देखिए) 1991 की जनगणना के अनुसार कुल महिला श्रमिक 989,767,663 है । इसमें से अधिकांश महिलाएं ग्रामीण क्षेत्रों

में नियोजित हैं । ग्रामीण क्षेत्रों में महिला कर्मकारों में से 87 प्रतिशत कृषि क्षेत्र में श्रमिकों और कृषकों के रूप में नियोजित हैं । शहरी क्षेत्रों में महिला कर्मकारों में से 80 प्रतिशत घरेलू उद्योगों, लघु व्यापार, सेवाओं आदि जैसे असंगठित क्षेत्रों में नियोजित हैं ।

(ख) से (घ) यद्यपि असंगठित क्षेत्र में महिला श्रमिकों को संगठित करने के लिए अलग से कोई योजनाएं नहीं हैं, ग्रामीण कर्मकारों को संगठित करने और उनके बीच विभिन्न श्रम कानूनों तथा उनके अधिकारों के बारे में जागरूकता लाने के लिए वर्ष 1981–82 में एक योजना (केन्द्रीय प्रायोजित योजना स्कीम) शुरू की गयी थी । वर्ष 1985–86 तक, यह योजना 14 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में संचालित थी तथा इन राज्यों को अवैतनिक ग्रामीण संगठनकर्त्ताओं के 1500 पद आबंटित किये गये थे । केन्द्रीय सरकार ने 200 रु. प्रति माह की दर पर मानदेय की प्रतिपूर्ति करने का स्वयं ही दायित्व लिया और राज्य सरकारों के माध्यम से प्रत्येक अवैतनिक ग्रामीण संगठनकर्ता 50 रु. की दर से यात्रा भत्ता निर्धारित किया । सातवीं योजना के अन्त तक उक्त योजना को ग्रामीण विकास मंत्रालय के गरीबी उन्मूलन का क्रम के लाभानुभोगियों को संगठित करने नामक दूसरी योजना के साथ जोड़ दिया गया था ।

जहां तक उनके रहन-सहन के स्तरों को बेहतर बनाए जाने का संबंध है । केवल महिलाओं के लिए अलग से कोई योजना नहीं है । तथापि, गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले और असंगठित श्रम बल के कल्याण हेतु पर्याप्त रूप से अंशदान करने वाले परिवारों के आर्थिक एवं सामाजिक कल्याण उत्थान के लिए एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आई. आर.डी.पी.), जवाहर रोजगार योजना (जी.आर.वाई.) ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं एवं बालकों का विकास (डी.डब्ल्यू सी आर. ए.), स्व-रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण (ट्राइसेंस) जैसी योजनाओं को कार्यान्वित किया जा रहा है । श्रम मंत्रालय का कल्याण प्रभाग बीडी कर्मकारों, सिने कर्मकारों और चूना पत्थर, डोलोमाइट, लौह, मैंगनीज, क्रोम और अबरक खानों के कर्मकारों को आवासीय, शैक्षिक, चिकित्सीय और मनोरंजन संबंधी सुविधाएं प्रदान करने के लिए पांच कल्याण निधियां संचालित कर रहा है ।

संगठित और असंगठित क्षेत्रों के महिला कर्मकारों की दृष्टि से लाभानुभोगियों के अलग से ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं ।

विवरण

महिला श्रमिकों की राज्यवार संख्या 1991 जनगणना

क्र. सं.	भारत/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सीमान्त कर्मकारों सहित कुल महिला कर्मकार
1	2	3
	भारत	89,767,563
1.	आन्ध्र प्रदेश	11,252,643
2.	अरूणाचल प्रदेश	149,789
3.	असम	2,324,535
4.	बिहार	6,116,974

1	2	3
5.	गोवा	117,977
6.	गुजरात	5,180,886
7.	हरियाणा	821,299
8.	हिमाचल प्रदेश	888,589
9.	कर्नाटक	6,472,816
10.	केरल	2,347,268
11.	मध्य प्रदेश	10,430,890
12.	महाराष्ट्र	12,617,454
13.	मणिपुर	350,134
14.	मेघालय	302,853
15.	मिजोरम	143,964
16.	नागालैण्ड	215,722
17.	उड़ीसा	3,241,991
18.	पंजाब	418,646
19.	राजस्थान	5,744,129
20.	सिक्किम	57,790
21.	तमिलनाडु	8,236,872
22.	त्रिपुरा	184,333
23.	उत्तर प्रदेश	8,019,310
24.	प. बंगाल	3,662,855
25.	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	16,584
26.	चंडीगढ़	29,443
27.	दादरा और नगर हवेली	32,944
28.	दमन और दीव	11,584
29.	दिल्ली	3314,076
30.	लक्षद्वीप	1,906
31.	पांडिचेरी	60,911

टिप्पणी : 1991 में जम्मू और कश्मीर में जनगणना नहीं करवायी गयी ।